न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
फौजदारी प्रकीर्ण सं0–55/2026
रोहित मौर्य बनाम सरकार

15.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। फौजदारी अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय में फौजदारी अपील न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जौनपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना के साथ प्रार्थनापत्र 5ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

अपीलकर्ता के द्वारा प्रार्थनापत्र 5ख में कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण को विपक्षी संख्या 2 द्वारा विद्वान अवर/विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये घरेलू हिंसा के मुकदमें मुकदमा नम्बर 238/2025 बंदना मौर्या बनाम रोहित मौर्या उर्फ मोनू मौर्या, धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम, थाना–मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर की व उसमें पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित–18.02.2026 की जानकारी पूर्व में किसी भी रूप में नहीं हो पायी जिस कारण अपीलार्थीगण विद्वान अवर/विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध अपील विधिनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलार्थीगण गैर जनपद जिला संतरविदास नगर (भदोही) के निवासी है और सभी एक साथ घर पर रहते भी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी अपीलार्थीया संख्या 6 विवाहिता ननद है और अपनी ससूराल में रहती है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनें मुकदमें की प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को जानकारी न होनें देंनें और चुपके से तामिला की कार्यवाही पूर्ण करा लेनें के उद्देश्य से गलत ढंग से सभी प्रत्यर्थीगण का एक ही पता अंकित कर दिया गया। विद्वान अवर/विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपनें एकपक्षीय निर्णय दिनांकित–18.02.2026 में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण पर नोटिस का तामिला जरिये प्रकाशन दिनांक–24.12.2025 को पर्याप्त माना जाना अभिलिखित किया गया है, जबकि विद्धान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ है कि उसमें न तो नोटिस प्रकाशन हेतु कोई आदेश हुआ और न ही नोटिस प्रकाशन की कोई कार्यवाही हुयी है। पत्रावली में अपीलार्थीगण पर नोटिस का तामिला पर्याप्त मानें जानें का कोई आदेश भी नहीं है। कुछ दिनों पूर्व विपक्षी संख्या 2 अपनें मायके वालों के साथ एक–एक ससूराल में आ गयी और बोली की मेरा कोर्ट से आर्डर हो गया है अब में यहीं अपनी मर्जी से रहूंगी और रुपये भी लूंगी। न्यायालय के आदेश के बारे में पूछे जानें पर विपक्षी संख्या 2 ने कहा कि जाकर खुद पता कर लो मैं आदेश की कापी सिर्फ पुलिस को दूंगी। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता महोदय के माध्यम से पता लगवाया तो दिनांक 30.03.2026 को मात्र मुकदमा उपरोक्त के नाम बनाम व दिनांक–18.02.2026 को एकपक्षीय निर्णय होनें की जानकारी मिली, जिसके अगले दिन दिनांक–31.03.2026 को उक्त निर्णित पत्रावली के मुआयना की दरख्वास्त दी गयी। दिनांक–31.03.2026 को अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उपरोक्त मुकदमें की निर्णित पत्रावली का मुआयना करानें पर प्रार्थीगण को मुकदमें व उसकी समस्त कार्यवाही व पारित एकपक्षीय निर्णय की जानकारी हुयी जिसके उपरान्त अगले दिन दिनांक 01.04.2026 को अपील प्रस्तुत करनें हेतु एकपक्षीय निर्णय की सत्यापित नकल के लिये आवेदन किया गया, नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब कालबाधित अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत किये जानें में जानबूझ कर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। मामले में विद्वान

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.07.15 16:38:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अवर/विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय में कई विधिक दोष हैं जिसकी वजह से पारित एकपक्षीय निर्णय विधि एवं न्याय की मंशा को पूर्ण नहीं करता है साथ ही विद्वान अवर/विचारण न्यायालय द्वारा मामले में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को बिना सुनें और मामले का गुण–दोष के आधार पर निर्धारण किये बिना एकपक्षिय रूप से पारित किया गया है। माननीय न्यायालय की राय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दाखिल करनें में जो विलम्ब कारित हुआ है उसे उपरोक्त आधारों पर न्यायहित में माफ करते हुये प्रस्तुत अपील को अंगीकृत किये जानें का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति कागज संख्या 11ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दरख्वास्त अपीलार्थी खिलाफ कानून खिलाफ वाक्यात है। कोई वजह माकूल वास्ते मंजूरी दरख्वास्त नहीं है। दरख्वास्त संधारणीय नहीं है। अपीलार्थी को मुकदमा इब्तदाई की शुरू से जानकारी रही, जानबूझकर हाजिर अदालत नहीं आया और बराबर बाहर से मुकदमा इब्तदाई की कार्यवाही का जानकारी रखता रहा, माननीय अदालत मातहत ने अपीलार्थी पर तामीला पर्याप्त होने के बाद हम विपक्षी का साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया है, जो बिल्कुल जायज व सही है। अपीलार्थी की अपील/विपक्षी तामीला पर्याप्त होने व एकपक्षीय कार्यवाही योजित होने की पूर्ण जानकारी रही, मात्र टालने के लिये झूठे कथनों के आधार पर कर दिया। अपीलार्थी ने विलम्ब होने का कोई सही स्पष्टीकरण दफा 5 कानून मियाद अधिनियम में डे–टू–डे का स्पष्टीकरण देना परम आवश्यक है। यदि स्पष्टीकरण नहीं दे पाते है तो प्रार्थनापत्र किसी भी कीमत पर स्वीकार होने योग्य नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अपील को खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अपीलकर्ता द्वारा अवर न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या–238/2025, बंदना मौर्या बनाम रोहित मौर्या उर्फ मोनू मौर्या के मामले में पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। अपीलकर्ता के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि एकपक्षीय निर्णय दिनांकित–18.02.2026 की जानकारी पूर्व में किसी भी रूप में नहीं हो पायी जिस कारण अपीलार्थीगण विद्वान अवर/विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध अपील विधिनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके।

धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब मर्षण के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **ओ0पी0 कठारिया बनाम लखमी सिंह 1984 एस0सी0सी0 पेज 66 एवं कलेक्टर भूमि अर्जन अन्नतनाग बनाम श्रीमती कटीजी 1987 एस0सी0सी0 पेज 107** को उद्यृत करना सुसंगत होगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक अभिमत दिया गया है कि–''पर्याप्त हेतुक या कारण क्या होगा इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। इस विवेकशील तथ्य को कड़े नियम के रूप में परिवर्तित करना उचित नहीं होगा। यह आवश्यक है कि प्रत्येक हेतुक का उदारतापूर्वक निवर्चन किया जाना चाहिए जब तक सद्भाव या अभाव जैसी निष्क्रियता या उपेक्षा न हो, जो पक्षकारों को धारा 5 के संरक्षण से वंचित करें, तब तक विलम्ब की माफी दी जानी चाहिए। यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब को मर्षित न करने से अन्याय होगा तथा इसे माफ किया जाना चाहिए तथा

विलम्ब के स्पष्टीकरण के मामले में अति तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाकर व्यवहारिक दृष्टिकोण न्यायालय को अपनाना चाहिए।''

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के द्वारा अपील दाखिल करने में हुये विलम्ब के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह संतोषजनक है एवं शपथपत्र से समर्थित है। न्यायहित में गुण–दोष के आधार पर मामले के सम्यक् निस्तारण के उद्देश्य से अपीलकर्ता को समय–सीमा का लाभ दिया जाना उचित होगा। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 5ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आवेदक के द्वारा फौजदारी अपील दाखिल करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। फौजदारी अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2026 को पेश हो। पक्षकार उपस्थित हों।

15.07.2026

सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।